21.9.21. प्रार्थी अभिभावक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज पेश होने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता पवन कुमार एवं सहयोगी अधिवक्ता जितेन्द्र त्रिवेदी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया की वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थी गरीब किसान है। प्रकरण दर्ज करने के बाद कई समय बित जाने के कारण जल्दी सुनवाई का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। पत्रावली पूर्व निर्धारित तारिख से आज तलब की गई अधिवक्ता श्री त्रिवेदी ने अपनी बहस मे बताया की प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम कालिया है लेकिन राजस्व कर्मियों की लापरवाही के कारण प्रार्थी के पिता का नाम कुरिया दर्ज किया गया जिसके कारण प्रार्थी को बैंक से ऋण व अन्य योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है।

प्रकरण मे अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढी का जवाब पेश होकर प्रार्थीगण के पिता का नाम कुरिया के स्थान पर कालिया की जाने की अनुशंसा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2021.11.09 17:42:10 IST
Reason: Self Attested

अतः पटवार [illegible] पालोदा के [illegible] पालोदा की खाता संख्या 750 (नई) 685 (पुरानी) के कुल सर्वे नम्बर 8 रकबा

Scanned by CamScanner

0.76 हे. भूमि में कुरिया के स्थान पर कान्तिया वाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.9.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2021.11.09 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner